विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-16/18

मे0 मोहम्मद असगर एण्ड ब्रदर्स, — **आवेदक**
द्वारा श्री वसीम पिता श्री मोहम्मद अख्तर,
बुरहानपुर कोल्ड स्टोरेज, ग्राम – एमागिर्द,
तहसील व जिला बुरहानपुर (म0प्र0)

विरूद्ध

कार्यपालक निदेशक (इ.क्षेत्र),
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
पोलोग्राउण्ड, इंदौर (म.प्र.)

— **अनावेदकगण**

अधीक्षण यंत्री (संचा./संधा.),
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
लालबाग रोड, बुरहानपुर (म.प्र.)

आदेश
(दिनांक 30.12.2019 को पारित)

01. आवेदक मेसर्स मोहम्मद असगर एण्ड ब्रदर्स द्वारा श्री वसीम पिता श्री मोहम्मद अख्तर बुरहानपुर कोल्ड स्टोरेज, ग्राम – एमागिर्द, तहसील व जिला बुरहानपुर (म0प्र0) ने अपने लिखित अभ्यावेदन दिनांक 07.07.2018 से विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इंदौर एवं उज्जैन क्षेत्र के प्रकरण क्रमांक W0408518 में दिनांक 14.06.2018 को पारित आदेश से पीड़ित एवं दुखी होकर इस आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है । यह अपील दिनांक 16.07.2018 को कार्यालय में प्राप्त होकर प्रकरण क्रमांक एल00–16/2018 पर दर्ज की गई है ।

02. आवेदक ने अपनी लिखित अपील में प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार प्रस्तुत किए:–

आवेदक ने विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इंदौर एवं उज्जैन क्षैत्र में शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया था कि –

i) आवेदक का ग्राम एमागिर्द तहसील व जिला बुरहानपुर में 140 के.वी.ए. का उच्चदाब कनेक्शन जून 1984–85 में प्राप्त किया जिसका कनेक्शन क्रमांक 7307904000 है। वर्ष 2010–2014 के एच0वी0 3(1) टैरिफ के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि ग्रामीण क्षैत्र के एच0टी0 कनेक्शनधारियों को फिक्स चार्ज 10 प्रतिशत एवं 2015–16 से 5 प्रतिशत की (रिबेट) एवं मिनीमम की खपत आने पर इनर्जी चार्ज पर 20 प्रतिशत की छूट मिलती है। परिवादी का उच्चदाब कनेक्शन ग्रामीण क्षैत्र में होकर उच्चदाब कनेक्शनधारी है। विगत 7–8 वर्षों में उपर दर्शित टैरिफ के अनुसार फिक्स चार्ज 10 प्रतिशत और 5 प्रतिशत की राशि रिबेट पाने का अधिकारी है । परिवादी ने दिनांक 26.03.2018 के नोटिस द्वारा उक्त रिबेट की मांग की थी, इसके अतिरिक्त शिकायत का खर्च 10,000/– रू0 भी दिलवाया जावे।

ii) सुनवाई में विपक्ष ने जवाबदावा प्रस्तुत कर कथन किया कि परिवादी को ग्राम मोहम्मदपुरा तहसील व जिला बुरहानपुर में 180 के.वी.ए. का विद्युत कनेक्शन 33 के.वी.ए. विद्युत लाईन पर उच्चदाब कनेक्शन दिनांक 02.06.2009 को प्रदाय किया गया था । परिवादी को 33 के.वी.ए. इण्डस्ट्रीयल फीडर से मात्र 24 नम्बर 33 के.वी.ए. उच्चदाब उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदाय होता है जिसका सम्बद्ध भार 7136 के.वी.ए. है। इस फीडर से *मेसर्स सीताराम सिल्क मिल्स प्रा0लि0* का विद्युत संयोग पूर्णतः औद्योगिक (Industrial Predominated) है एवं इस फीडर का संचारण/संधारण एवं रखरखाव भी औद्योगिक फीडर निर्धारित मापदण्डों के अनुसार किया जा रहा है। उच्चदाब टैरिफ अनुसार 3(1) की सामान्य निबंधन एवं 'शर्ते की धारा डी में स्पष्ट उल्लेख है कि ग्रामीण बाहुल्य क्षेत्रों को विद्युत प्रदाय करने वाले फीडर से संयोजित विद्युत उपभोक्ताओं को 5 प्रतिशत एवं 20 प्रतिशत रिबेट दी जाना है। अतः आवेदक की मांग टैरिफ आदेशानुसार न होकर मान्य नहीं है।

परिवादी को जिस फीडर से विद्युत प्रदाय किया जा रहा है वह 24 घण्टे विद्युत प्रदाय वाला फीडर है। परिवादी के विद्युत बिल में जो टैरिफ लगाई जा रही है उसमें ग्रामीण या 'शहरी ऐसा कोई अंतर नहीं है, एक समान दर से ही बिल जारी किए जा रहे हैं जो आयोग के निर्देशानुसार ही है । उक्त टैरिफ का चयन उपभोक्ता द्वारा ही किया गया। परिवादी को 24 घण्टे सप्लाए के कारण फिक्स चार्ज या इनर्जी चार्ज में रिबेट देना संभव नहीं है।

(iii) प्रकरण में फोरम ने आवेदक का परिवाद इस आधार पर अस्वीकार करने का निर्णय अपने दिनांक 14.06.2018 को पारित आदेश में किया कि उच्चदाब विद्युत दर एच0वी0 3 की विशिष्ट निबंधन एवं 'शर्ते की कण्डिका डी एवं विधिक प्रावधान में उल्लेखानुसार छूट की पात्रता नहीं है। क्योंकि परिवादी को ग्रामीण फीडर से विद्युत प्रदाय नहीं किया जा रहा है, जबकि प्रदाय 33 के.वी.ए. औद्योगिक फीडर के ग्रुप नौ से किया जा रहा है।

आवेदक ने अपने अपीलीय अभ्यावेदन में अपील के निम्न आधार प्रस्तुत किए हैं :–

(i) माननीय फोरम ने अपने आलौच्य आदेश में यह तथ्य स्वीकार किया है कि आवेदक अपीलार्थी का एच0टी0 कनेक्शन ग्रामीण क्षेत्र में है। अनावेदक ने इस संबंध में कोई आपत्ति अनावेदक ने नहीं ली है इसके अतिरिक्त यह बात प्रतिअपीलार्थीगण ने भी अपने जवाब में स्वीकार किया है कि आवेदक अपीलार्थी का कनेक्शन ग्रामीण क्षेत्र अर्थात ग्राम एमागिर्द में है। ग्रामीण क्षेत्र में उक्त कनेक्शन होना स्वीकार करने पर भी अपीलार्थी का आवेदन पत्र को अस्वीकार करना कानूनी गलती है जिसको लेकर मौजूदा अपील पेश है।

(ii) यह कथन गलत है कि ग्रामीण क्षेत्र में औद्योगिक फीडर से आवेदक अपीलार्थी के कनेक्शन की सप्लाय जारी है जबकि केन्द्रीय 'शासन ने रूलर और अर्बन क्षेत्र को अलग–अलग फीडर सैपरेशन के नाम से अत्याधिक राशि स्वीकृत करके ग्रामीण और 'शहर फीडरों को अलग–अलग करने के निर्देश दिए गए हैं इस आधार पर ग्रामीण क्षेत्र को औद्योगिक फीडर से सप्लाए देने के कथन गलत होने से स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

(iii) म0प्र0 राज्य शासन ने वर्तमान में विद्युत का अत्याधिक उत्पादन होने से ग्रामीण क्षेत्र में अनवरत 24 घण्टे विद्युत सप्लाय हो रही है इस कारण से ग्रामीण क्षेत्र को 24 घण्टे सप्लाय देने से शहरी क्षेत्र नहीं माना जा सकता है।

(iv) म0प्र0 शासन द्वारा जारी नोटिफिकेशन दिनांक *25.03.2006* के आधार पर अपीलार्थी का कनेक्शन ग्रामीण क्षेत्र में स्थित होने से नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ वर्ष 2010–11 से आज दिनांक तक 10 एवं 5 प्रतिशत फिक्स चार्ज की छूट का लाभ आवेदक अपीलार्थी प्राप्त करने का अधिकारी है।

(v) आवेदक अपीलार्थी का एच0टी0 कनेक्शन ग्रामीण क्षेत्र अर्थात ग्राम मोहम्मदपुरा में स्थित है जिसके प्रमाण में माननीय फोरम के समक्ष बिक्री पत्र प्रस्तुत किया गया है । इस आधार पर आवेदक अपीलार्थी को फिक्स चार्ज की रिबेट राशि वर्ष 2010–11 से आज दिनांक तक प्रदान कराई जावे।

आवेदक ने अपील में फोरम का आदेश दिनांक 14.03.2018 निरस्त किया जाकर वर्तमान अपील स्वीकार की जाकर आवेदक अपीलार्थी द्वारा माननीय अधीनस्थ फोरम के समक्ष प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्र अनुसार समस्त सहायताएं प्रदान करने के आदेश पारित किए जाने संबंधी राहत की मांग की है।

03. अपील दर्ज होने के बाद प्रकरण स्वीकार कर प्रारंभिक सुनवाई हेतु उभयपक्षों को दिनांक 09.08.2018 को प्रारंभिक सुनवाई के लिए सूचना–पत्र जारी किया गया । तत्कालीन समय नियमित विद्युत लोकपाल की नियुक्ति न होने के कारण प्रभारी विद्युत लोकपाल द्वारा नियमित विद्युत लोकपाल की पदस्थापना की प्रत्याशा में प्रकरण में सुनवाई न की जाकर सुनवाई आगे बढ़ाई जाती रही। अन्ततः माह अप्रैल 2019 में नियमित विद्युत लोकपाल के पदग्रहण करने के पश्चात प्रकरण की प्रारंभिक सुनवाई दिनांक 14.05.2019 को नियत की गई ।

04. प्रकरण के अधिकृत अधिवक्ता श्री बी.एच. अंसारी जो कि दिनांक 30.04.2019 को अन्य प्रकरण की सुनवाई के संबंध में उपस्थित हुए थे, द्वारा लिखित निवेदन किया गया कि चूंकि उनके द्वारा समान प्रकृति के 6 अन्य प्रकरणों में की गई अपील में उन्हें पैरवी करनी है, अतः समान प्रकृति के समस्त प्रकरणों को एक ही दिनांक को सुनवाई हेतु नियत किए जाने से न केवल आवेदकों अपितु अनावेदक एवं लोकपाल महोदय के लिए भी सुविधाजनक एवं उचित होगा। इसके साथ ही उन्होंने निवेदन किया कि मई माह में लोकसभा चुनाव एवं रमजान माह होने के कारण माह के अन्त में सुनवाई की तिथि नियत किया जाना उचित होगा। चूंकि अनावेदक प्रतिनिधि भी दिनांक 30.04.2019 को अन्य प्रकरण की सुनवाई हेतु उपस्थित थे, अतः उनकी सहमति से प्रकरण में प्रारंभिक सुनवाई आगे बढ़ाई गई।

05. इस प्रकार प्रकरण में प्रारंभिक सुनवाई दिनांक 11.06.2019 को आयोजित की गई, जिसमें आवेदक की ओर से आवेदक अधिवक्ता श्री बी.एच. अंसारी, बुरहानपुर उपस्थित हुए तथा अनावेदक की ओर से श्री सुनील कुमार खैरवार (क.यं.), जूनियर इंजीनियर, सिटी डिवीजन, शनवारा झोन, बुरहानपुर उपस्थित हुए।

अनावेदक की ओर से श्री सुनील कुमार खैरवार, जूनियर इंजीनियर, सिटी डिवीजन, शनवारा झोन, बुरहानपुर ने अपने पत्र क्रमांक 11.06.2019 से अनावेदक अधीक्षण यंत्री (संचा./संधा.) की ओर से लिखित प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर इसकी एक प्रति उनके द्वारा आवेदक को पूर्व में ही दिए जाने संबंधी कथन किया। अनावेदक अधीक्षण यंत्री (संचा./संधा.) बुरहानपुर ने अपना लिखित उत्तर जो कि दिनांक 14.05.2019 की सुनवाई के लिए तैयार किया गया था, किन्तु 14.05.2019 को सुनवाई नहीं होने से 11.06.2019 को प्रस्तुत किया गया, में निम्नानुसार कथन किए गए :—

(i) आवेदक मेसर्स मोहम्मद असगर एण्ड ब्रदर्स ग्राम एमागिर्द, जिला तहसील बुरहानपुर को 180 के.व्ही.ए. का विद्युत कनेक्शन 33 के.व्ही. लाईन पर उच्चदाब कनेक्शन दिनांक 23.11.2007 को प्रदाय किया गया था ।

(ii) आवेदक को 33 के.व्ही. इण्डस्ट्रीयल फीडर जिस पर अनवरत 24 घंटे विद्युत प्रदाय होता हैं के द्वारा उच्चदाब कनेक्शन प्रदाय किया गया हैं । यहां यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि इस 33 के.व्ही. इण्डस्ट्रीयल फीडर से मात्र 28 नं. 33 के.व्ही. उच्चदाब उपभोक्ताओं को ही विद्युत प्रदाय किया जा रहा है, जिनका सम्बद्ध भार 7136 के.व्ही. है । इसी फीडर से मेसर्स मोहम्मद असगर एण्ड ब्रदर्स का विद्युत संयोग संयोजित है, जिससे किसी भी प्रकार के ग्रामीण क्षेत्र का उपकेन्द्र नहीं जुड़ा है एवं मेसर्स मोहम्मद असगर एण्ड ब्रदर्स को विद्युत प्रदाय करने वाला 33 के.व्ही. इण्डस्ट्रीयल फीडर पूर्णतः औद्योगिक (Industries Feeder) है एवं इस फीडर का संचारण/संधारण एवं रखरखाव भी औद्योगिक फीडर हेतु निर्धारित मापदंडो अनुसार किया जा रहा है । उच्चदाब टैरिफ अनुसार 3(1) की स्पेसिफीक टर्मस एंड कंडिशन की धारा सी में स्पष्ट उल्लेख है कि **"Rebate for supply through feeders feeding supply to predominantly rural areas:** HT consumers of this category receiving supply through rural feeders shall be entitled to 5% rebate on Fixed Charges and 20% reduction in Minimum

Consumption (kWh) as specified above for respective voltage levels." अतः आवेदक की मांग टैरिफ आदेशानुसार नहीं होकर मान्य नहीं है ।

(iii) आवेदक को जिस फीडर से विद्युत प्रदाय किया जा रहा है, वह 24 घंटे विद्युत प्रदाय वाला फीडर हैं । उपभोक्ता के विद्युत बिल में जो टैरिफ लगाई जा रही है उसमें अर्बन या रूरल ऐसा कोई अंतर नहीं हैं। उच्चदाब उपभोक्ता को एक समान दर से ही बिल जारी किए जा रहे हैं जो विद्युत नियामक आयोग के निर्देशानुसार ही हैं। उक्त टैरिफ का चयन उपभोक्ता द्वारा स्वयं ही किया गया है तथा उपभोक्ता की हस्ताक्षरयुक्त अनुबंध की प्रति संलग्न प्रस्तुत है।

(iv) आवेदक को विद्युत सप्लाय 33 के.व्ही. इण्डस्ट्रीयल फीडर से दी जा रही है । यह फीडर 24 घंटे सप्लाय वाला औद्योगिक फीडर हैं । विद्युत नियामक आयोग के निर्देशानुसार ही उपभोक्ता को उचित बिल जारी किए जा रहे हैं एवं 24 घंटे सप्लाय के कारण फिक्स चार्ज या एनर्जी चार्ज में रिबेट देना संभव नहीं है।

(v) (अ) उच्चदाब टैरिफ में ग्रामीण या शहरी क्षेत्र की दर अलग अलग घोषित नहीं की गई हैं एवं 24 घंटे विद्युत प्रदाय वाला शहरी क्षैत्र का औद्योगिक फीडर होने के कारण आवेदक किसी प्रकार का रिबेट का हकदार नहीं हैं।

(ब) आवेदक को 24 घंटे विद्युत प्रदाय वाले औद्योगिक फीडर पर उच्चदाब कनेक्शन दिया गया हैं एवं विद्युत नियामक आयोग के नियमानुसार ही विद्युत बिल जारी किए जा रहे हैं । अतः आवेदक किसी भी प्रकार की छूट का हकदार नहीं है।

(स) उपभोक्ता को कनेक्शन दिनांक से ही लगातार नियमानुसार बिल जारी किए जा रहे हैं, अतः शिकायत का खर्च आवेदक द्वारा स्वयं ही वहन करना विधिसम्मत हैं।

<u>प्रतिअपीलार्थी का अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील के आधार पर प्रतिउत्तर –</u>

01. यह कि, आवेदक का माननीय वि0उ0शि0नि0फो0 इन्दौर को इस आशय से आरोपित करना गलत हैं कि, अनावेदक का संयोजन ग्रामीण क्षेत्र में होने के उपरांत भी फिक्स चार्ज एवं एनर्जी चार्ज में छूट पाने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि आवेदक का कनेक्शन औद्योगिक फीडर (शहरी फीडर) पर होने के कारण छूट प्राप्त करने का आधार नहीं हो सकता।

02. कण्डिका क्रमांक 02 अस्वीकार है ।

03. यह कि, उपभोक्ताओं की मांग एवं सुविधा हेतु 24 घंटे विद्युत प्रदाय किया जा रहा है, आवेदक के अन्य कथन अस्वीकार है।

04. यह कि, आवेदक को 33 के.व्ही. औद्योगिक फीडर से सप्लाय किया जा रहा हैं । अतः टैरिफ आदेश के अनुसार आवेदक को किसी तरह की छूट प्रदान नहीं की जा सकती।

अतः माननीय लोकपाल महोदय की ओर निवेदन पूर्वक लेख है कि अपीलार्थी उपभोक्ता द्वारा प्रतिअपीलार्थी विद्युत वितरण कंपनी से विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी टैरिफ के विपरीत जाकर छूट की मांग करना अपीलार्थी उपभोक्ता की सदोष मानसिकता की ओर इंगीत करता हैं एवं यह कि, अपीलार्थी द्वारा पूर्व में भी माननीय उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम इन्दौर के समक्ष उक्त आशय का परिवाद प्रस्तुत किया था, जिसे माननीय फोरम द्वारा इस आदेश के साथ निरस्त किया गया कि, परिवादी उपभोक्ता को उच्चदाब विद्युत दर एच0वी0 03 की विशिष्ट निबंधन एवं शर्तों की कण्डिका डी एवं विधिक प्रावधान में उल्लेखानुसार छूट की पात्रता नहीं हैं क्योंकि, परिवादी को ग्रामीण फीडर से विद्युत प्रदाय नहीं किया जा रहा है, जबकि प्रदाय 33 के0वी0 औद्योगिक फीडर के ग्रुप – IX से किया जा रहा है।

अतः माननीय लोकपाल महोदय से निवेदन है कि, आवेदक को 24 घंटे विद्युत प्रदाय वाले 33 के.व्ही. औद्योगिक फीडर (शहरी फीडर) पर उच्चदाब कनेक्शन दिया गया है एवं विद्युत नियामक आयोग नियमानुसार ही विद्युत बिल जारी किए जा रहे हैं एवं उपरोक्त वर्णित आधारों पर अपीलार्थी की मंशा एवं माननीय फोरम के आदेश दिनांक 14.06.2018 के प्रकाश में अपीलार्थी उपभोक्ता की अपील सव्यय निरस्त करने का कष्ट करें।

अनावेदक प्रतिनिधि की ओर से प्रकरण में अधीक्षण यंत्री (संचा./संधा.), बुरहानपुर की ओर से लिखित उक्त प्रत्युत्तर के साथ 33 केवीए इण्डस्ट्रियल फीडर का सिंगल लाईन डायग्राम, जून, 2018 से अप्रैल, 2019 की अवधि में प्रति माह किए गए विद्युत प्रदाय की अवधि संबंधी आवेदक के मीटर की एम.आर.आई पत्रक, अधीक्षण यंत्री (संचा./संधा.), बुरहानपुर द्वारा दिनांक 10.05.2018 को फोरम के समक्ष सुनवाई में प्रस्तुत लिखित उत्तर,आवेदक द्वारा निष्पादित उच्च दाब अनुबंध एवं विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर द्वारा दिनांक 10.06.18 को पारित आदेश की छायाप्रतियाँ प्रस्तुत की। प्रस्तुत सिंगल लाईन डायग्राम के अनुसार आवेदक को 33 के.व्ही. औद्योगिक फीडर बुरहानपुर से किया जा रहा है तथा इस फीडर से आवेदक के अलावा 24 अन्य उच्चदाब उपभोक्ताओं को भी विद्युत प्रदाय किया जा रहा है किन्तु इससे कोई ग्रामीण क्षेत्र नहीं जुड़ा हुआ है। प्रस्तुत एम.आर.आई रिपोर्ट से स्पष्ट है कि जून, 2018 से अप्रैल, 2019 की अवधि में आवेदक के उच्चदाब कनेक्शन को लगभग 24x7 विद्युत प्रदाय किया गया।

आवेदक अधिवक्ता द्वारा लिखित अभ्यावेदन से अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत की गई जिसमें कथन किया कि :–

(i) अपीलार्थी को प्रतिअपीलार्थी द्वारा दिया गया एच0टी0 कनेक्शन ग्राम मोहम्मदपुरा में वर्ष 1984–85 में प्रदान किया गया है, जिसकी पुष्टि अनावेदक के अपने जवाब की कण्डिका क्र0 1 में की है ।

(ii) माननीय अधीनस्थ फोरम ने म0प्र0 'शासन द्वारा जारी नोटिफिकेशन दिनांक 25.03.2006 की मंशा को नहीं समझ कर गंभीर भूल की है कि म0प्र0 'शासन की यह मंशा है कि ग्रामीण क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना से ग्रामीण निवासी को ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार मिले और ग्रामीण निवासीयों का 'शहर की ओर

पलायन भी रोका जा सके । इस आधार पर नियामक आयोग ने ग्रामीण क्षेत्र के कनेक्शनधारियों को ग्रामीण क्षेत्र के उद्योग की स्थापना पर फिक्स चार्ज एवं मिनीमम चार्ज में रिबेट की सुविधा दी है जिसको अपीलार्थी प्राप्त करने का अधिकारी है ।

(iii) उपरोक्त दोनों आधारों पर वर्तमान अपील स्वीकार की जाकर माननीय अधीनस्थ फोरम का आलौच्य आदेश निरस्त किए जाने योग्य है तथा अपीलार्थी उक्त कनेक्शन स्थापना दिनांक से आज दिनांक तक फिक्स चार्ज एवं मिनिमम चार्ज की सब्सिडी राशि प्राप्त करने का अधिकारी है, ऐसा आदेश पारित करने की कृपा करें । इस संबंध में अपीलार्थी अपील क्र0 05/17 में पारित आदेश दिनांक 23.05.17 की प्रति एवं गजट नोटिफिकेशन की प्रति भी संलग्न कर रहा है ।

आवेदक अधिवक्ता ने मौखिक कथन कर स्वीकार किया कि विद्युत प्रदाय में प्रारंभ से ही किसी प्रकार की कोई शिकायत एवं समस्या नहीं है एवं आवेदक को नियमित रूप से विद्युत प्रदाय प्राप्त हो रहा है । आवेदक अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उनके द्वारा जो जानकारी/दस्तावेज दिए जाने थे वे प्रस्तुत किए जा चुके हैं जिसके अलावा उन्हें और कुछ प्रकरण के संबंध में नहीं कहना या प्रस्तुत करना है अतः अगली पेशी में उन्हें उपस्थिति से मुक्त रखा जाए। सुनवाई की अगली तारीख 02.07.2019 नियत की गई।

06. सुनवाई दिनांक 02.07.2019 को आवेदक स्वेच्छा से अनुपस्थित तथा अनावेदक की ओर से श्री आमेर कुरेशी, कार्यपालन यंत्री, शहर संभाग, बुरहानपुर उपस्थित।

अनावेदक प्रतिनिधि श्री कुरैशी ने कथन किया कि इस फीडर से संबंद्य कुल 25 उपभोक्ताओं में से कुछ उपभोक्ता उनके कार्यक्षैत्र अर्थात् बुरहानपुर शहर संभाग के अंतर्गत हैं एवं शेष संचालन एवं संधारण संभाग बुरहानपुर के अंतर्गत आते हैं। चूंकि इस फीडर का रखरखाव शहर संभाग बुरहानपुर द्वारा किया जाता है। अतः प्रकरण में वह अनावेदक कम्पनी की ओर से पक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं।

संबंधित 33 केवीए इण्डस्ट्रियल फीडर बुरहानपुर द्वारा विगत वर्षों में मासिक आधार पर आवेदक को किए गए वास्तविक विद्युत प्रदाय की अवधि संबंधी जानकारी के संबंध में अनावेदक प्रतिनिधि के तत्समय यह जानकारी उपलब्ध नहीं होने व अगली सुनवाई में इसे प्रस्तुत करने संबंधी कथन करने पर अगली सुनवाई दिनांक 01.08.2019 को नियत की गई।

07. सुनवाई दिनांक 01.08.2019 को आवेदक की ओर से आवेदक अधिवक्ता श्री बी0एच0 अंसारी तथा अनावेदक की ओर से श्री आमेर कुरेशी, कार्यपालन यंत्री, सिटी डिवीजन, बुरहानपुर उपस्थित हुए । आवेदक अधिवक्ता द्वारा पुनः कथन किया गया कि उनके द्वारा जो जानकारी/दस्तावेज दिए जाने थे वे प्रस्तुत किए जा चुके हैं और इनके अलावा उन्हें प्रकरण के संबंध में कुछ और नहीं कहना या प्रस्तुत करना है।

अनावेदक प्रतिनिधि द्वारा अधीक्षण यंत्री (संचा./संधा.) बुरहानपुर की ओर से लिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसकी एक प्रति उनके द्वारा पूर्व में ही आवेदक अधिवक्ता को दी

जा चुकी थी । अनावेदक के लिखित प्रतिवेदन अनुसार आवेदक का कनेक्शन शहरी क्षेत्र की सीमा से लगा होकर आवेदक को ओद्योगिक फीडर से 24 घंटे विद्युत प्रदाय किया जा रहा है। लिखित प्रतिवेदन व अनावेदक के कथनानुसार आवेदक उपभोक्ता को जिस 33 के0व्ही0 इण्डस्ट्रीयल फीडर से सप्लाय किया जा रहा है उससे केवल उच्चदाब उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदाय किया जा रहा है तथा इससे किसी ग्रामीण क्षैत्र को विद्युत प्रदाय नहीं किया जा रहा है अतः यह फीडर (Predominantly Rural) श्रेणी के अन्तर्गत नहीं है। आवेदक उच्च दाब श्रेणी का उपभोक्ता है एवं उच्च दाब टैरिफ में शहरी एवं ग्रामीण क्षैत्र हेतु टैरिफ दर समान है।

अनावेदक ने अपने लिखित प्रतिवेदन के साथ आवेदक को नियमित रूप से लगभग 24 घंटे दैनिक आधार पर विद्युत प्रदाय किया जाना दर्शित करते हुए वर्ष जनवरी 2016 से जून 2019 तक की आवेदक के मीटर की मासिक आधार पर तैयार एम.आर.आई. रिपोर्ट संलग्न की। लिखित प्रतिवेदन में अधीक्षण यंत्री (संचा./संधा.) बुरहानपुर ने तर्क किया है कि मेसर्स ग्रायत्री एग्रो. बुरहानपुर के प्रकरण क्रमांक एल00–04/2016 में विद्युत लोकपाल के दिनांक 09.06.2016 के पारित निर्णय के विरूद्ध माननीय मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत अपील में दिनांक 02.11.2018 के आदेश में माननीय आयोग ने उल्लेख किया है कि ग्रामीण क्षेत्र में दो तरह के फीडर से सप्लाय किया जाता है, एक सिंचाई उपभोक्ताओं हेतु फीडर एवं एक सभी तरह के उपभोक्ताओं जिन्हें 24 घंटे विद्युत प्रदाय किया जाता है एवं आवेदक ग्रामीण फीडर से सप्लाय श्रेणी में नहीं आता है । अतः अनावेदक द्वारा उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आवेदक की अपील सव्यय निरस्त किए जाने का निवेदन है।

अनावेदक द्वारा प्रस्तुत उक्त आदेश दिनांक 02.11.2018 की प्रति का अवलोकन करने पर अनावेदक का यह कथन सही नहीं पाया गया कि माननीय आयोग ने आदेश में उल्लेख किया है कि आवेदक ग्रामीण फीडर से सप्लाय श्रेणी में नहीं आता है । वस्तुतः माननीय आयोग ने फोरम द्वारा ऐसा पाए जाने का उल्लेख मात्र अपने आदेश में किया है।

अनावेदक को वर्ष 2014–15 में किए गए विद्युत प्रदाय संबंधी जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ प्रकरण में अन्तिम सुनवाई दिनांक 20.08.2019 को नियत की गई।

08. दिनांक 20.08.2019 आवेदक की ओर से आवेदक अधिवक्ता श्री बी0एच0 अंसारी तथा अनावेदक की ओर से श्री आमेर कुरेशी, कार्यपालन यंत्री, सिटी डिवीजन, बुरहानपुर उपस्थित हुए।

अनावेदक की ओर से पूर्व पेशी दिनांक 01.08.2019 में चाहा गया निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किए गए :–

(i) आवेदक को प्रदान किए गए कनेक्शन पर वर्ष 2014–15 में किए गए विद्युत प्रदाय के संबंध में आवेदक के उच्चदाब कनेक्शन के मीटर की एम.आर.आई. रिपोर्ट ।

(ii) आवेदक को प्रदाय किए गए फीडर से विद्युत सप्लाय का सिंगल लाईन

डायग्राम (नक्शा) एवं खसरा क्रमांक की जानकारी ।

उक्त दस्तावेज/प्रपत्रों की एक प्रति आवेदक अधिवक्ता को दी गई । इसके अवलोकन उपरान्त आवेदक अधिवक्ता ने कथन कर इसमें दी गई जानकारी से सहमति व्यक्त की।

अनावेदक द्वारा वर्ष 2014–2015 में की गई विद्युत सप्लाई की प्रस्तुत एम.आर.आई रिपोर्ट में पूरे वर्ष में आवेदक के उच्चदाब कनेक्शन को लगभग 24 x 7 विद्युत प्रदाय किया जाना दर्शित किया गया है । तीन वर्ष से अधिक पुराने दावे लिमिटेशन एक्ट 1963 के अन्तर्गत कालबाधित होने के साथ–साथ अनावेदक के कथन कि उनके द्वारा आवेदक के उच्चदाब कनेक्शन की लगातार नियमित 24 x 7 विद्युत प्रदाय किया जा रहा है एवं इस पर आवेदक अधिवक्ता की स्वीकारोक्ति के आधार पर वर्ष 2010–11 से 2013–14 की अवधि के मध्य किए गए विद्युत प्रदाय संबंधी जानकारी का अनावेदक द्वारा प्रस्तुतीकरण आवश्यक नहीं पाया गया।

उभयपक्षों के कथन कि उन्हें अब आगे कोई अतिरिक्त कथन नहीं करने या कोई अतिरिक्त जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने संबंधी कथन किया जिसकों दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में सुनवाई समाप्त कर प्रकरण को आदेश के लिए सुरक्षित किया गया।

09. प्रकरण की विवेचना में सर्वप्रथम आवेदक द्वारा विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इंदौर एवं उज्जैन क्षेत्र के समक्ष प्रस्तुत शिकायत प्रकरण क्रमांक W0408518 में फोरम द्वारा दिनांक 14.06.2018 को पारित आदेश का अवलोकन किया गया। पारित आदेश में फोरम ने निम्नानुसार अपना अवलोकन एवं अभिमत अंकित किया है :–

> *प्रकरण में फोरम के द्वारा परिवादी के द्वारा प्रस्तुत आवेदन, दस्तावेज एवं सुनवाई के दौरान प्रस्तुत कथन एवं साक्ष्यों का अवलोकन किया गया । जिससे यह स्पष्ट है कि परिवादी का कोल्ड स्टोरेज हेतु उच्चदाब कनेक्शन ग्राम एमागिर्द में स्थित है जो कि ग्रामीण क्षेत्र है, अतएव इस आधार पर परिवादी ग्रामीण क्षेत्र के लिए निर्धारित टेरिफ छूट का लाभ लेना चाहता है । प्रकरण में विपक्ष के द्वारा प्रस्तुत जवाबदावे एवं उसके साथ संलग्न दस्तावेजों एवं सुनवाई के दौरान प्रस्तुत कथन एवं साक्ष्य एवं तर्कों का अवलोकन किया गया । प्रकरण में विपक्ष के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि परिवादी उच्चदाब उपभोक्ता है जिसको 33 के0व्ही0 औद्योगिक फीडर से 24 घण्टे अनवरत विद्युत प्रदाय किया जाता है एवं नियमानुसार इस फीडर का संचारण एवं संधारण/रखरखाव भी शहरी क्षेत्र के फीडर के लिए निर्धारित माप–दंडों के अनुसार किया जाता है, एवं परिवादी ने अपने कनेक्शन की प्राप्ति के लिए प्रस्तुत आवेदन/कनेक्शन के दौरान किए गए अनुबंध में भी उनके उच्चदाब कनेक्शन को प्राप्त होने वाली 33 के0व्ही0 औद्योगिक फीडर के लिए निर्धारित टेरिफ को स्वीकारते हुए किया गया है जिसकी छायाप्रति फोरम के समक्ष प्रस्तुत की गई एवं विपक्ष के द्वारा उच्चदाब कनेक्शन टेरिफ वर्ष 2015–16 एच0वी0 3 की धारा डी के लिए निर्धारित विधिक प्रावधान (d) **Rebate for supply through feeders feeding supply to predominantly rural areas:** HT consumers of this category receiving supply through rural feeders shall be entitled to 5% rebate on Fixed Charges and 20% reduction in Minimum Consumption (kWh) as specified above for*

respective voltage levels का एवं इसी आधार पर समान प्रकरणों में फोरम के द्वारा पूर्व में पारित विभिन्न परिवादों के पारित आदेशों का हवाला देते हुए यह अवगत कराया गया है कि चूंकि परिवादी के उच्चदाब कनेक्शन को 33 केवी औद्योगिक विद्युत फीडर से 24 घण्टे विद्युत प्रदाय किया जा रहा है जो कि उच्चदाब टेरिफ एच.वी. – 3.1 के नियमानुसार है अतएव उक्त विधिक प्रावधान के अनुसार परिवादी किसी प्रकार की ग्रामीण क्षेत्र के लिए निर्धारित टेरिफ छूट का पात्र नहीं है, अतः फोरम का अभिमत है कि उच्चदाब विद्युत दर एच.वी. के विशिष्ट निबंधन एवं शर्तों की कंडिका डी में किए गए उल्लेखानुसार परिवादी को छूट की पात्रता नहीं है क्योंकि ग्रामीण बाहुल्य क्षेत्र को विद्युत प्रदाय करने वाले ग्रामीण फीडर से संयोजित विद्युत उपभोक्ताओं को 5 प्रतिशत एवं 20 प्रतिशत रिबेट दी जानी है, जबकि परिवादी को 33 के.व्ही. औद्योगिक फीडर से विद्युत प्रदाय किया जा रहा है अतः प्रकरण समाप्त किया जाना चाहिए ।

उक्त अवलोकन एवं अभिमत के आधार पर फोरम द्वारा निम्नानुसार निर्णय पारित किया गया :–

01. परिवादी का परिवाद अस्वीकार किया जाता है।

02. अभिमत में किए गए उल्लेखानुसार परिवादी के उच्चदाब कनेक्शन को 33 के.वी. औद्योगिक विद्युत फीडर से 24 घण्टे विद्युत प्रदाय किया जा रहा है एवं उच्चदाब टैरिफ एच.वी. – 3 जो कि नियमानुसार है । विधिक प्रावधान के अनुसार परिवादी को किसी प्रकार की ग्रामीण क्षेत्र के लिए निर्धारित टैरिफ छूट की पात्रता नहीं है । अतः प्रकरण समाप्त किया जाता है ।

10. आवेदक द्वारा प्रस्तुत लिखित अपीलीय अभ्यावेदन, प्रकरण में विभिन्न सुनवाईयों में उभयपक्षों द्वारा किए गए कथनों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रकरण की विवेचना की गई। विवेचना में पाया गया कि आवेदक की अपील मूलतः इस तर्क पर आधारित है कि उनका उच्चदाब कनेक्शन मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25.03.2016 के अनुसार ग्रामीण क्षैत्र में स्थित है तथा वर्तमान में विद्युत का अत्यधिक उत्पादन होने से ग्रामीण क्षैत्र में लगभग 24 घंटे विद्युत सप्लाई हो रही है इस कारण से ग्रामीण क्षैत्र को 24 घंटे सप्लाई देने से शहरी क्षैत्र में नहीं माना जा सकता और आवेदक नियामक आयोग द्वारा वर्ष 2010–11 से अब तक जारी वार्षिक टैरिफ आदेश में फिक्स चार्ज में 5 प्रतिशत एवं न्यूनतम खपत में 20 प्रतिशत छूट का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है। अनावेदक ने लिखित एवं मौखिक कथन कर जानकारी प्रस्तुत की है कि आवेदक के उच्चदाब कनैक्शन को 33 केवी औद्योगिक फीडर से विद्युत प्रदाय किया जा रहा है और इस फीडर से केवल 33 केवी उच्चदाब कनेक्शन ही सम्बद्ध हैं, इनके अलावा इस फीडर से किसी भी ग्रामीण क्षैत्र को विद्युत प्रदाय नहीं किया जा रहा है। आवेदक के उच्चदाब कनेक्शन सहित इस फीडर से सम्बद्ध सभी उच्चदाब उपभोक्ताओं को 24 x 7 विद्युत प्रदाय किया जा रहा है तथा फीडर वर्गीकरण में इस फीडर को ग्रुप – IX में वर्गीकृत किया गया है जबकि ग्रामीण क्षैत्रों को विद्युत प्रदाय कर रहे फीडर्स को ग्रुप – I से ग्रुप – IV में वर्गीकृत किया गया है। यह फीडर 132/33 के0व्ही0 बहादरपुर उपकेन्द्र

से निर्गमित है और इस पर कुल 28 नं0 33 केवी उच्चदाब उपभोक्ता सम्बद्ध हैं। अनावेदक का कथन है कि किसी आकस्मिक स्थिति को छोड़कर इस फीडर से 24 x 7 विद्युत प्रदाय किया जा रहा है और फीडर का संचालन/संधारण एवं रख–रखाव भी औद्योगिक फीडर हेतु निर्धारित मापदण्डों अनुसार किया जा रहा है। चूंकि उच्चदाब टैरिफ श्रेणी HV-3 Specific Terms & Condition की संबंधित धारा में स्पष्ट उल्लेख है कि मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत प्रदाय किए जा रहे फीडर से सम्बद्ध उच्चदाब उपभोक्ताओं को ही फिक्स चार्ज एवं न्यूनतम खपत में छूट प्राप्त करने की पात्रता रहती है, अतः आवेदक की मांग टैरिफ आदेश अनुसार नहीं होकर मान्य नहीं है।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत लिखित अपील की सुनवाई में किए गए कथन/प्रस्तुत जानकारी से प्रकरण संबंधी निम्न तथ्य प्राप्त होते हैं :–

(i) आवेदक का उच्चदाब कनैक्शन ग्राम एमागिर्द में स्थित है जो मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25.03.2016 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में आता है। आवेदक द्वारा यह कनैक्शन वर्ष 2007 में प्राप्त किया था।

(ii) आवेदक के उच्चदाब कनैक्शन को विद्युत प्रदाय करने वाला फीडर 33 के0व्ही0 औद्योगिक फीडर है जो 132/33 के0व्ही0 बहादरपुर ग्रिड उपकेन्द्र से निर्गमित है। इस फीडर से केवल 33 केवी उच्चदाब उपभोक्ताओं को ही विद्युत प्रदाय किया जाता है और चूंकि फीडर से कोई भी ग्रामीण क्षेत्र का उपकेन्द्र नहीं जुड़ा है जिससे स्पष्ट है कि इस फीडर से किसी भी ग्रामीण क्षेत्र को विद्युत प्रदाय नहीं किया जाता हैं। यह तथ्य इससे भी सिद्ध होता है कि 33 के0व्ही0 औद्योगिक फीडर बुरहानपुर अनावेदक कंपनी द्वारा बिजली कटौती प्लान में ग्रुप – IX में वर्गीकृत है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों को विद्युत प्रदाय करने वाले सभी फीडर्स को ग्रुप – I से ग्रुप – IV में वर्गीकृत हैं।

(iii) उक्त फीडर से सम्बद्ध आवेदक के उच्चदाब कनैक्शन सहित समस्त अन्य उच्चदाब कनैक्शनों को अनवरत 24 x 7 विद्युत प्रदाय किया जा रहा है जो अनावेदक द्वारा आवेदक उपभोक्ता के मीटर की विगत् वर्षों की एम0आर0आई0 के प्रस्तुत दस्तावेजों से भी सिद्ध होता है। आवेदक अधिवक्ता ने भी सुनवाई में स्वीकार किया है कि विद्युत प्रदाय में प्रारंभ से किसी प्रकार की कोई शिकायत या समस्या नहीं है एवं आवेदक को नियमित रूप से निरन्तर विद्युत प्रदाय प्राप्त हो रहा है।

प्रकरण में विचारणीय बिन्दु यह है कि माननीय विद्युत नियामक आयोग, जिन्हें आगे माननीय आयोग से संबोधित किया गया है, द्वारा वर्ष 20110–11 व उसके बाद के सभी टैरिफ आर्डरों में टैरिफ श्रेणी एच.वी.–3 के अन्तर्गत विद्युत प्रदाय प्राप्त कर रहे उच्चदाब उपभोक्ता विशेष को फिक्स चार्जेज में 2014–15 तक 10 प्रतिशत एवं 2015–16 से 5 प्रतिशत तथा न्यूनतम खपत (Kwh) में 20 प्रतिशत की कमी संबंधी जो छूट प्रदान की है, उस छूट के लिए उच्चदाब उपभोक्ता की क्या पात्रता निर्दिष्ट की गई है और क्या पात्रता के इस आधार पर आवेदक इस छूट को प्राप्त करने का अधिकारी है ?

उक्त बिन्दु की विवेचना में सर्वप्रथम माननीय आयोग द्वारा वर्ष 2010–11 से लगातार अब तक जारी वार्षिक टैरिफ आदेशों में टैरिफ श्रेणी एच.वी.–3 के विशिष्ट निबंधन एवं शर्तों के अन्तर्गत संबंधित कण्डिका, निम्नानुसार उद्धृत है :–

> " **Rebate for supply through feeders feeding supply to predominantly rural areas:** HT consumers of this category receiving supply through rural feeders shall be entitled to 5% rebate on Fixed Charges and 20% reduction in Minimum Consumption (kWh) as specified above for respective voltage levels."

उक्त विशिष्ट निबंधन एवं शर्त का सुक्ष्म अवलोकन व सावधानीपूर्वक अध्ययन किया गया जिसमें निम्न निष्कर्ष प्राप्त किए गए :–

i) प्रश्नाधीन छूट प्राप्त करने की पात्रता उपभोक्ता के उच्चदाब कनैक्शन की भौगोलिक स्थिति यथा ग्रामीण क्षेत्र अथवा शहरी क्षेत्र पर आधारित नहीं है।

ii) प्रश्नाधीन छूट की पात्रता टैरिफ श्रेणी एच.वी. – 3 के केवल उन उच्चदाब उपभोक्ताओं को है जिनको उस फीडर से विद्युत प्रदाय किया जा रहा हो, जो मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र को विद्युत प्रदाय करता हो।

प्रश्नाधीन प्रकरण की विवेचना में ***"पिटीशन क्रमांक 26/2017 Petition for clarification on applicability of Tariff onA particular LT category consumer under clause 5(I), Clause 5(r) of other terms and conditions of LT Tariff (and clause 1.25 of HT Tariff) of Tariff order 2010-11 in the matter of M/s Sunil Oil Mills, Barwani"*** में माननीय आयोग द्वारा दिनांक 30.11.2018 को पारित आदेश का भी अवलोकन किया गया, जिसमें औद्योगिक क्षेत्र, सैंधवा में स्थित उपभोक्ता के निम्नदाब औद्योगिक कनैक्शन को नियमित 24 x 7 विद्युत प्रदाय किए जाने के आधार पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा शहरी क्षेत्र के लिए लागू निम्नदाब औद्योगिक टैरिफ पर बिल किए जाने के विरूद्ध आवेदक ने अपना निम्नदाब औद्योगिक कनैक्शन मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25.03.2016 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में स्थित होने के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र हेतु निर्धारित औद्योगिक टैरिफ पर बिलिंग किए जाने की मांग की थी। माननीय आयोग ने प्रकरण की सुनवाई में इस बात का विशेष संज्ञान लिया कि आवेदक लगातार 24 x 7 विद्युत प्रदाय का लाभ ले रहा है और इसके साथ–साथ वह ग्रामीण क्षेत्र हेतु निर्धारित निम्नतर टैरिफ, जो ग्रामीण क्षेत्रों में 24 x 7 से कमतर अवधि के विद्युत प्रदाय के लिए प्रदान किया गया है, का लाभ भी लेना चाहता है। इस आदेश की कण्डिका – **(vii)**, **(viii)** और **(ix)** निम्नानुसार उद्धृत हैं :–

> *"vii.* ***The Commission observed that the power supply has improved considerably in rural area since the year 2014 and thereafter the respondent has raised the issue of rural billing and want to take advantage of 24x7 power as well as lower fixed charges which the Commission has provided for lower supply hours.***

viii. ***In the Commission's tariff orders for 2010-11 and subsequent years, the Commission has madeA provision that the consumers in the notified industrial growth centres area receiving supply under urban discipline shall be billed urban tariff. So the intent of the Commission was to compensate the consumers in rural areas, as they were not getting regular and 24x7 supply, by charging lower fixed charges than the urban area supply. In order to avoid the ambiguity or any dispute the Commission has also clarified in the tariff order for 2018-19 that all industrial area receiving power under urban discipline shall be charged urban tariff.***

ix. ***The Commission has observed that till 2014-15 the State has witnessed deficit power supply scenario wherein the demand surpassed the supply by the licensee and the rural areas were provided with limited hours of supply and the Commission has consciously reduced the fixed charges keeping the energy charges same in the rural areas and have introduced rural tariff w.e.f. 2006-07 onwards."***

यद्यपि उक्त प्रकरण निम्नदाब औद्योगिक कनैक्शन से संबंधित है, किन्तु मूल रूप से यह प्रकरण तथा विद्युत लोकपाल के समक्ष प्रस्तुत प्रश्नाधीन अपीलीय प्रकरण दोनों ही समान प्रकृति के हैं, जिसमें विद्युत उपभोक्ता को नियमित 24 x 7 विद्युत प्रदाय होने के बाद भी उसके द्वारा निर्धारित टैरिफ में छूट की मांग की जा रही है।

माननीय आयोग ने उक्त कण्डिकाओं में स्पष्ट किया है कि वर्ष 2007–08 से ग्रामीण क्षेत्र के लिए पृथक टैरिफ की संरचना के पीछे उनका आशय ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ताओं को शहरी क्षेत्र की भांति नियमित 24 x 7 विद्युत प्रदाय नहीं मिलने की भरपाई करना था।

विवेचना में माननीय आयोग के विनियम **''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) विनियम 2009''** की कण्डिका 5.3 के अन्तर्गत म0प्र0 पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, इन्दौर द्वारा विद्युत लोकपाल के समक्ष दर्ज प्रकरण क्रमांक एल00–04 / 2016 (मे0 गायत्री एग्रो, बुरहानपुर विरूद्ध म0प्र0 पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, इन्दौर) में विद्युत लोकपाल के दिनांक 09.06.2016 के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत प्रतिवेदन में माननीय आयोग द्वारा दिनांक 02.11.2018 को पारित आदेश, जिसकी प्रति अनावेदक द्वारा सुनवाई में प्रस्तुत की गई का भी अवलोकन किया गया। माननीय आयोग ने अपने इस आदेश की कण्डिका (5) में स्पष्ट उल्लेख किया है कि टैरिफ आदेश में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिए निम्नदाब श्रेणी में अलग–अलग स्थाई प्रभार होने के कारण टैरिफ आदेश में ग्रामीण क्षेत्र परिभाषित किया गया है। उच्चदाब श्रेणी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है किन्तु यह दृष्टिगत रखते हुए कि शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत प्रदाय अवधि में भेद हो सकता है इसकी भरपाई के लिए ग्रामीण फीडर से विद्युत प्रदाय प्राप्त कर रहे एच.वी.–3 श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए छूट का प्रावधान किया गया है। आदेश की यह कण्डिका (5) निम्नानुसार उद्धृत हैं :–

"5. In the tariff order, for LT category the fixed charges are different for urban and rural areas and for that only, rural area is defined in the tariff order. Such provision is not available for HT category. However, considering that there may be discrimination in supply hours in rural areas and to compensate that, a clause for rebate has been introduced for HV 3 category of consumers receiving power through rural feeders.

इससे यह स्पष्ट एवं निर्विवादित निष्कर्ष प्राप्त होता है कि एच.वी. – 3 टैरिफ श्रेणी के उन उपभोक्ताओं जिन्हें ग्रामीण फीडर से विद्युत प्रदाय नहीं किया जा रहा है तथा जिनको नियमित 24 x 7 विद्युत प्रदाय किए जाने की स्थाई व पुख्ता व्यवस्था विद्यमान है, द्वारा की जाने वाली टैरिफ में छूट की मांग किसी भी प्रकार से जायज एवं तर्कसंगत नहीं है।

11. प्रकरण की विस्तृत विवेचना से यह निर्विवाद रूप से सिद्ध होता है कि यद्यपि आवेदक 33 के0व्ही0 का उच्चदाब कनैक्शन के ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है किन्तु इस उच्चदाब कनैक्शन को अनावेदक द्वारा 33 के0व्ही0 औद्योगिक फीडर से नियमित 24 x 7 विद्युत प्रदाय किया जा रहा है और इस फीडर से कोई ग्रामीण क्षेत्र सम्बद्ध नहीं होने से यह फीडर 2010–11 से प्रतिवर्ष जारी प्रत्येक टैरिफ आदेश की टैरिफ श्रेणी एचवी – 3 के विशिष्ट निबंधन एवं शर्तों के खण्ड की संबंधित कण्डिका **"Rebate for supply through feeders feeding supply to predominantly rural areas"** में उल्लेखित **"Feeder Feeding Supply to Predominantly Rural Areas"** की परिधि में नहीं आने तथा आवेदक ग्रामीण फीडर से विद्युत प्रदाय की श्रेणी में नहीं आने संबंधी निष्कर्ष प्राप्त होता है। प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर आवेदक को टैरिफ श्रेणी एचवी 3.1 के विशिष्ट निबंधन एवं शर्तों के खण्ड में प्रावधानित स्थाई प्रभार एवं न्यूनतम खपत पर क्रमशः 5 प्रतिशत एवं 20 प्रतिशत छूट प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं पाया जाता है अतः आवेदक की अपील अस्वीकार किया जाना न्यायोचित होगा।

12. प्रकरण की विस्तृत विवेचना में प्राप्त तथ्यों एवं निष्कर्ष के आधार पर आवेदक की अपील अस्वीकार कर विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इन्दौर उज्जैन क्षेत्र द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.03.2018 को यथावत् रखे जाने का निर्णय लिया जाता है। इसके साथ ही प्रकरण निर्णीत होकर समाप्त होता है।

13. उभय पक्ष प्रकरण में हुआ अपना अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे। आदेश की निःशुल्क प्रति के साथ उभय पक्षकार अलग से सूचित हों। आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापिस हो।

विद्युत लोकपाल